तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर बउनवान दलाराम बनाम कबूदेवी वगैरह अपील संख्या 106/2024	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.05.2025	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। उत्तरदातागण के नाम से रजिस्टर्ड डाक से सम्मन भिजवाये गये जिसकी डिलेवरी कंफर्म की रिपोर्ट पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त हो चुकी है। अपील पत्रावली पर अधिवक्ता अपीलांट की एकतरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटस को अपने खातेदारी की भूमि मौजा सुथारों की ढाणी के खसरा संख्या 255 में आने जाने हेतु रास्ता प्राप्त करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया। उक्त आवेदन बाद सुनवाई दिनांक 07.08.2024 को स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के पक्ष में पारित आदेश की पालना हेतु आवेदन तहसीलदार को पेश किया गया तब पता चला कि अपीलाधीन आराजी पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 13.03.2024 को स्थगन आदेश पारित किया गया। स्थगन आदेश दिनांक 13.03.2024 के प्रभाव में रहने से अपीलांट को अपने खातेदारी भूमि तक आवागमन हेतु रास्ता रूका हुआ है। अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट को रास्ते से वंचित किया जाता है तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होना संभाव्य है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपीलाट की अपील स्वीकार फरमाई जावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनने, पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये मौजा सुथारों का तला पटवार हल्का गरल तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 766/264 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, तथा खसरा संख्या 551/264 व अन्य खसरों पर स्थगन आदेश पारित किया गया। अपीलांटस के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर के समक्ष पेश आवेदन अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को दिनांक 07.08.2024 को स्वीकार किया गया। उक्त आदेश की पालना करने में आलोच्य स्थगन आदेश दिनांक 13.03.2024 बाधा उत्पन्न करता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश से अपीलांट के हितों पर कुठाराघात संभाव्य है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, बाड़मेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 86/2024 बउनवान कबुदेवी बनाम खरथाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 13.03.2024 में संशोधन करते हुए उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर द्वारा अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 राजस्व आवेदन संख्या 18/2024 में पारित आदेश दिनांक 07.08.2024 की पालना में नामांतकरण खोलकर स्वीकृत करने तथा सार्वजनिक आवागमन हेतु रास्ता खोलने की अनुमति प्रदान की जाती है शेष स्थगन आदेश यथावत रहेगा। पत्रावली फैशल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश मेरे द्वारा दिनांक 12.05.2025 को लिखवाया जाकर सुनाया गया। (नवनीत कुमार) राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर (नवनीत कुमार) राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर	